संख्या- 58 /2024/826-22-4-2024-1796321

प्रेषक,

अभय कुमार त्रिपाठी,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक / महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-4 लखनऊ : दिनांक 03 दिसम्बर, 2024

विषय:- प्रदेश की 14 कारागारों एवं 01 डा0 सम्पूर्णानन्द प्रशिक्षण संस्थान, लखनऊ पर हेल्थ ए0टी0एम0 मशीन की व्यवस्था किए जाने हेतु कार्यदायी संस्था नामित करते हुये प्रशासकीय / वित्तीय स्वीकृति के साथ क्रयानुमोदन प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-26479/आधु-1/15-जेल-हेल्थ-एटीएम/23-24, दिनाँक 28.08.2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल वित्तीय वर्ष 2024-25 में शासन द्वारा स्वीकृत कार्ययोजना में सम्मिलित प्रदेश की 14 कारागारों एवं 01 डा० सम्पूर्णानन्द कारागार प्रशिक्षण संस्थान, लखनऊ में कुल 15 अदद हेल्थ ए०टी०एम० मशीन की व्यवस्था हेतु प्राविधानित धनराशि रू0 150.00 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति सहित उक्त के सापेक्ष 40 प्रतिशत धनराशि रू0 60.00 लाख (रूपया साठ लाख मात्र) के अग्रिम भुगतान की अनुमति निम्न लिखित शर्तों के अधीन प्रदान करते हैः-

<u>नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों</u>

(1) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-162 में दी गई व्यवस्था के अनुसार जो सरकारी कर्मचारी/अधिकारी धन को आहरित करेगा, वही उसके समायोजन हेतु भी जिम्मेदार होगा तथा यदि काई क्षति होती है, तो उसके लिए भी संबंधित सरकारी कर्मचारी/अधिकारी जिम्मेदार होगा।

(2) महानिरीक्षक, कारागार द्वारा पिछले स्वीकृत किये गये समस्त अग्रिमों एवं अब स्वीकृत किये जा रहे अग्रिम के समायोजन की स्थिति से वित्त विभाग को प्रत्येक दशा में अवगत कराया जायेगा। समायोजन सुनिश्चित हो जाने के उपरान्त ही अगले अग्रिम आहरण का प्रस्ताव किया जाएगा।

(3) प्रोक्योरमेण्ड मैनुअल के अध्याय-11 के प्रस्तर-11.8 के अनुसार ब्याज की देयता के संबंध में महानिरीक्षक, कारागार अपने स्तर से आवश्यक कार्यवाही करेंगे।

(4) महानिरीक्षक, कारागार प्रश्नगत धनराशि को स्टेट जेम पूल एकाउन्ट के अन्यत्र किसी अन्य खाते में नहीं रखेंगे।

(5) महानिरीक्षक, कारागार द्वारा उपकरणों का क्रय सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-2 के शासनादेश दिनांक 23.08.2017 में दी गई व्यवस्था के माध्यम से समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति सुनिश्चित करके नियमानुसार करते हुये सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।

(6) धनराशि आहरित करने से पूर्व महानिरीक्षक, कारागार द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि उक्त 15 अदद हेल्थ ए०टी०एम० मशीन के क्रय हेतु पूर्व में धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है। स्वीकृत

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

धनराशि का आहरण तभी किया जायेगा जब 15 अद्द हेल्थ ए०टी०एम० मशीन आदि की निर्धारित क्रय प्रक्रिया पूर्ण कर ली गयी हो।

(7) महानिरीक्षक, कारागार कार्यात्मक आवश्यकता के दृष्टिगत प्रस्तावित 15 अद्द हेल्थ ए०टी०एम० मशीन के मेक/माडल/स्पेसिफिकेशन एवं संख्या के संबंध में विभागीय व्यवस्थाओं के अन्तर्गत संतुष्ट हो लेंगे।

(8) महानिरीक्षक, कारागार क्रय किये जाने वाले 15 अद्द हेल्थ ए०टी०एम० मशीन की गुणवत्ता एवं उपयोगिता के संबंध में पूर्णतः संतुष्ट हो लेंगे।

(9) 15 अद्द हेल्थ ए०टी०एम० मशीन का क्रय स्वीकृत धनराशि की सीमा में किया जायेगा तथा किसी प्रकार का विचलन नही किया जायेगा।

(10) महानिरीक्षक, कारागार द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 04.03.2024 एवं तत्संबंधी संशोधित आदेशों में दी गयी व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(11) स्वीकृत धनराशि का उपयोग दिनांक 31 मार्च, 2025 तक सुनिश्चित कर लिया जाय।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 60,00,000 (रुपये साठ लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 025 **लेखा शीर्षक** 4070008001400 कारागारों के लिए उपकरणों, संयंत्रों एवं वाहन आदि की व्यवस्था **मानक मद** 26 मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या-E-12-564-X-2024-25, दिनांक: 02.12.2024 मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

अभय कुमार त्रिपाठी,
अनु सचिव।

संख्या-58/2024/826-22-4-2024-1796321, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि-निम्न लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यरक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट) उ0प्र0, प्रयागराज।
(2) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, प्रयागराज।
(3) उप महाप्रबन्धक (आई.टी.एण्ड बी.डी), टेलीकम्युनिकेशन्स कंसलटेंट्स इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली।
(4) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(5) निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
(6) वित्त नियंत्रक, कारागार मुख्यालय, लखनऊ।
(7) निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार विभाग, उ0प्र0 शासन।
(8) वित्त (व्यंय नियंत्रण) अनुभाग-12 / वित्त (आय-व्यगयक) अनुभाग-1/2
(9) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

अभय कुमार त्रिपाठी,
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।